न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 666/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. तुलछाराम पुत्र रामकिशन 2. सीताराम पुत्र रामकिशन 3. मेगाराम पुत्र रामकिशन 4. राजूराम पुत्र रामकिशन 5. सुरताराम पुत्र रामकिशन 6. जीवराज पुत्र रामकिशन 7. चेतनराम पुत्र रामकिशन 8. बगसाराम पुत्र मंगलाराम (जातियान विश्नोई, निवासी ग्राम पलीना, तह0 आऊ, जिला जोधपुर)		1. पांचाराम पुत्र फगलूराम 2. प्रतापाराम पुत्र फगलूराम (जातियान विश्नोई, निवासी ग्राम पलीना, तह0 आऊ, जिला जोधपुर) **प्रफोर्मा प्रत्यथीगण –** **3.** ग्राम पंचायत पलीना जरिये सरपंच ग्राम पलीना, तह0 आऊ (जोधपुर) **4.** तहसीलदार आऊ, जिला जोधपुर **5.** भागीरथ राम पुत्र मनोहर राम **6.** भजनाराम पुत्र फगलूराम **7.** बिरबलराम पुत्र फगलूराम

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लोहावट (जोधपुर) दिनांक 30.11.2022 राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 39/2022 अनवान पांचाराम व अन्य बनाम तुलछाराम वगैरा

उपस्थित–
1. श्री पूनाराम विश्नोई वकील अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. राजकीय अधिवक्ता प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 4
4. शेष प्रफोर्मा रेस्पो0 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 12.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलाण्ट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2022 पांचाराम व अन्य बनाम तुलछाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पलीना,

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसील आऊ के खसरा नम्बर 272/1 रकबा 4.0469 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 11 से 13 की संयुक्त खातेदारी की है तथा खसरा नं0 272 रकबा 17.4743 हैक्टर कृषि भूमि अप्रार्थीगण 1 से 9 की संयुक्त खातेदारी की है। जिसका मूल खसरा नं0 272 रकबा 136.10 बीघा का राजस्व नक्शा शामलाती दर्ज था। जमाबंदी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि अलग–अलग दर्ज है तथा नक्शे में बट्टा नम्बर की अलग से तरमीम नही की गई थी। सेग्रीगेशन प्रकिया के दौरान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खसरान की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में अलग–अलग की गई, जो मौके पर खातेदान के कब्जा काश्त के विपरित है। अर्थात प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के स्थान पर अप्रार्थीगण के ख0नं0 272 तथा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त के स्थान पर प्रार्थीगण के ख0नं0 272/1 की तरमीम कर दी गई। जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरीये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2022 से स्वीकार कर वर्तमान राजस्व नक्शे की तरमीम को निरस्त कर, माफिक मौका रिपोर्ट तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु तहसीलदार आऊ को आदेशित किया गया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी सं0 1 से 8–अपीलांट्स ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि ग्राम पलीना के मूल खसरा नं0 272 रकबा 136.10 बीघा भूमि के खातेदार अपीलांट्स सं0 1 से 7 के पिता रामकिशन पुत्र गोरखा थे। उक्त खसरे में से 25 बीघा भूमि रेस्पो0सं0 1 व 2 के पिता फगलूराम वल्द खुमाराम के नाम जरिये नामान्तरकरण सं0 85 से दर्ज हुई, जबकि खातेदार रामकिशन द्वारा उक्त भूमि का बेचान नही किया गया तथा ऐसा कोई बेचाननामा अस्तित्व में नही है। अर्थात रेस्पो0 सं0 1 व 2 कानूनन खातेदार काश्तकार नही है, गलत नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी में इनका नाम चला आ रहा है। मूल ख0नं0 272 की नक्शा ट्रेस में कभी कोई तरमीम अंकित नही है। अर्थात खसरा नं0 272 व 272/1 का कभी बंटवाडा नही हुआ। सह खातेदारी भूमि का विभाजन आरएलआर के तहत नही किया जा सकता, के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

धारा 53(1) या धारा 53 के तहत नियमित वाद से ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में बंटवाडा प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिले निरस्त योग्य है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अपीलांट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नजरी नक्शे का खण्डन किया गया तथा प्रकरण में तहसीलदार आऊ द्वारा प्रस्तुत एक तरफा रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर मौके की रिपोर्ट पुनः मंगावाने का आग्रह किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स की आपत्तियों को बिना निर्णित किए उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। जो विधिसम्मत नही होने से अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया गया।

वकील अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में RRT 2020()1 पेज नं0 91, RLW 2001(1) पेज नं0 600, WLC 1996 (1) पेज नं0 278, RRT 2022 (2) पेज नं0 1284, RRT 2008 (2) पेज नं0 729 की निर्णय नजीरे प्रस्तुत की गई।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार आऊ से मौका रिपोर्ट तलब की गई थी। तहसीलदार ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थित में विधिवत मौका रिपोर्ट तैयार कर जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरूस्त करना उचित बताया गया। अतः अपील अपीलांट्स खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में प्रश्नगत आराजियात की तरमीम दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार आऊ द्वारा खसरा नं0 272 व 272/1 के कब्जे काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा उक्त खसरान का बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट पर खातेदार रेस्पो0सं0 1, 2 व 5 से 7 के ही हस्ताक्षर है, अपीलांट्स की उपस्थिति रही अथवा नही या उसके द्वारा हस्ताक्षर करने अथवा नही करने संबंधी कोई तथ्य अंकित नही है तथा बंटवारा प्रस्ताव

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मे आपसी सहमति अथवा तस्दीक का उल्लेख नही है। इसके अलावा मौका रिपोर्ट में उल्लेखित है कि "नजरी नक्शा में खसरा नं0 272 के खातेदार सामलाती अलग–अलग कब्जा काश्त कर रहे है। खसरा नं0 272 के खातेदारों को कब्जा काश्त के अनुसार दो बट्टा खसरों की आवश्यकता है, जिसका रकबा नजरी नक्शा में अलग–अलग दर्शाया हुआ है"। इससे यह साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट व बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अविभाजित कृषि भूमि का अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर के तहत तरमीम दुरूस्ती करने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जबकि धारा 136 का प्रार्थना पत्र राजस्व अभिलेख में लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त करने तक ही सीमित है। कृषि भूमि क्षेत्र का विभाजन राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 अथवा घोषणात्मक वाद से ही संभव है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 39/2022 पांचाराम व अन्य बनाम तुलछाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12 **अप्रेल, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

12.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर